निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1940 (श0)

(सं0 पटना 736) पटना, मंगलवार, 31 जुलाई 2018

**बिहार विधान सभा सचिवालय**

अधिसूचना

24 जुलाई 2018

सं० वि०स०वि०-10/2018-4525/ वि०स०—''बिहार वित्त विधेयक, 2018'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

**आदेश से,**

**राजीव कुमार,**

प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा ।

## बिहार वित्त विधेयक, 2018

(वि०स०वि०-08/2018)

**बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (अधिनियम 4, 2018), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011), का संशोधन करने हेतु विधेयक।**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** –

(1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, अधिसूचना के माध्यम से नियत करे।

**2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन।**–

(i) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005** में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**3. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), में संशोधन।**–

(i) **बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) **बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) **बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) **बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) **बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993** में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) **बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**4. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948) में संशोधन।–**

(i) **बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) **बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) **बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) **बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) **बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948** में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) **बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**5. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988) में संशोधन।–**

(i) **बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) **बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) **बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) **बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) **बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988** में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) **बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**6. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 2018 (अधिनियम 4, 2018) में संशोधन।–**

(i) **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018** में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**7. बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007) में संशोधन।–**

(i) **बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) **बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) **बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) **बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) **बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007** में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) **बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**8. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011) में संशोधन।–**

(i) **बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) **बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) **बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) **बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) **बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011** में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) **बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011** में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**9. विधिमान्यकरण**–बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (अधिनियम 4, 2018), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011), में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।

(ख) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर उपायुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।

(ग) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।

(घ) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर अपर आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।

(ड़) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।

(च) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य–कर आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।

## वित्तीय संलेख

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुरुप केन्द्र द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) एवं राज्य में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (SGST Act) प्रख्यापित किया गया है। माल और सेवा कर प्रणाली के अन्तर्गत बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल को छोड़कर), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 समाहित हो गये हैं, जबकि बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम तथा बिहार पेशा कर अधिनियम को जीएसटी प्रणाली से बाहर रखा गया है एवं पूर्व की तरह इनका प्रशासन वाणिज्य–कर विभाग द्वारा किया जा रहा है

जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत माल या सेवाओं के आपूर्ति पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा CGST एवं SGST के नाम से एक साथ परन्तु अलग–अलग कर की वसूली किये जाने के प्रावधान हैं। साथ ही, इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों के Cross Empowerment के भी प्रावधान हैं। केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम के प्रशासन हेतु प्रधान मुख्य आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त के अलावा सहायक आयुक्त से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित हैं, जबकि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्य–कर पदाधिकारी से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित किये गये हैं।

वर्तमान में वाणिज्य–कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम के साथ–साथ पूर्व में लागू उपरोक्त अधिनियमों के लंबित मामलों का भी निष्पादन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में माल और सेवा कर प्रणाली के अधीन कर प्रशासक के रूप में किए जाने वाले कार्यो को सम्यक एवं सुचारू रूप से संपादित करने के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर प्रणाली के अनुरुप, बिना कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिए, वाणिज्य–कर विभाग के पदाधिकारियों के पदनामों में परिवर्त्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तद्नुरुप वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित एवं जीएसटी प्रणाली में समाहित अधिनियमों में पदाधिकारियों के पदनामों में यथोचित संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य।

## उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुरुप केन्द्र द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) एवं राज्य में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (SGST Act) प्रख्यापित किया गया है। माल और सेवा कर प्रणाली के अन्तर्गत बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल को छोड़कर), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 समाहित हो गये हैं, जबकि बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम तथा बिहार पेशा कर अधिनियम को जीएसटी प्रणाली से बाहर रखा गया है एवं पूर्व की तरह इनका प्रशासन वाणिज्य–कर विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत माल या सेवाओं के आपूर्ति पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा CGST एवं SGST के नाम से एक साथ परन्तु अलग–अलग कर की वसूली किये जाने के प्रावधान हैं। साथ ही, इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों के Cross Empowerment के भी प्रावधान हैं। केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम के प्रशासन हेतु प्रधान मुख्य आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त के अलावा सहायक आयुक्त से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित हैं, जबकि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्य–कर पदाधिकारी से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित किये गये हैं।

वर्तमान में वाणिज्य–कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम के साथ–साथ पूर्व में लागू उपरोक्त अधिनियमों के लंबित मामलों का भी निष्पादन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में माल और सेवा कर प्रणाली के अधीन कर प्रशासक के रूप में किए जाने वाले कार्यो को सम्यक एवं सुचारू रूप से संपादित करने के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर प्रणाली के अनुरुप, बिना कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिए, वाणिज्य–कर विभाग के पदाधिकारियों के पदनामों में परिवर्त्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तद्नुरुप वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित एवं जीएसटी प्रणाली में समाहित अधिनियमों में पदाधिकारियों के पदनामों में यथोचित संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त के कारण ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 तथा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य।

---

पटना
दिनांक 24.07.2018

सचिव
बिहार विधान सभा।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण)** 736-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**